17/6/21 दैनिक भास्कर

बड़की धमराय पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत का आयोजन

कोडरमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता का आयोजन चंदवारा प्रखंड के बडकीधमराय पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोडरमा के प्राधिकार के रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इसको लेकर किसी भी प्रकार की भ्रान्ति में नहीं पड़े टीका अवश्य लगवाए साथ ही साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लोगों को हर प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाता। उन्होंने कहा कि फ्रंट कोर्यालय के माध्यम से प्री-लिटिगेसन वादों का त्वरित निष्पादन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया जाता है अतः सभी से अनुरोध है कि फ्रंट कार्यालय का अधिक से अधिक लाभ उठाए।

उन्होंने बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बाल विवाह में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दण्ड दिए जाने के प्रावधान है। अनाथ व बेसहारा बच्चों को मदद करने के उद्देश्य से चलाई गई योजना झारखण्ड फोस्टर केयर एंड स्पासंरशिप स्कीम की शुरुआत झारखण्ड में ही की गई है। हम सबों को जागरूक होकर इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लोगों को संबोधित करते हुए विधि की छात्रा सुप्रिया रॉय ने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। मुखिया प्रतिनिधि किशोर कुमार यादव ने प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया तथा उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए। कार्यक्रम को वार्ड सदस्य अनिल कुमार बर्णवाल, सहदेव राम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी मनी कुमारी तथा धन्यवाद ज्ञापन वार्ड सदस्य अनिल कुमार बर्णवाल ने किया। मौके पर मुखिया शीला देवी, पीएलवी राजीव कुमार, देवंती देवी, विनीता कुमारी, बेबी कुमारी, शत्रुघ्न राम, रेखा देवी, बसंती देवी, अनिल कुमार, बीरेन्द्र मोदी, प्रीति कुमारी, ज्योति देवी, सुषमा कुमारी, मालती देवी, संतोष कुमार, बोधि यादव सहित अन्य मौजूद थे।

17.6.21 दैनिक जागरण

मानसिक रोगियों को दवा से ज्यादा प्यार की है जरूरत : पीडीजे

संवाद सहयोगी, कोडरमा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश गरीब व जरूरतमंद एवं कोरोना महामारी से प्रभावित लोगो के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया गया। होली फैमिली स्थित जीवोदया संस्थान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा रहे मानसिक दिव्यांग महिलाओं की मदद के लिए एक स्ट्रेचर एवं एक व्हील चेयर वितरित की गई।

पीडीजे वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि मानसिक रोगियों को दवा से अधिक प्यार की जरुरत है। इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव लूसी सोरेन तिग्गा, व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश प्रभारी राजीव कुमार सिंह, जीवोदया संस्थान की सिस्टर लीला, सिस्टर रौनिटा एवं न्यायलयकर्मी संतोष कुमार आदि मौजूद थे।

संस्था को व्हील चेयर सौंपते पीडीजे वीरेंद्र कुमार तिवारी व अन्य • जागरण

चलंत अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलन्त लोक अदालत सह क़ानूनी जागरूकता का आयोजन चंदवारा प्रखंड के बड़कीधमराय पंचायत भवन में बुधवार को किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि फ्रंट कार्यालय के माध्यम से प्री.लिटीगेशन वादों का त्वरित निष्पादन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया जाता है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को मदद करने के उद्देश्य से चलाई गई योजना झारखण्ड फोस्टर केयर एंड स्पांसरशिप स्कीम के संबंध में भी जानकारी दी। विधि की छात्रा सुप्रिया रॉय ने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर मुखिया शीला देवी, राजीव कुमार, देवंती देवी, वीनिता कुमारी,बेबी कुमारी, शत्रुघ्न राम, रेखा देवी, बसंती देवी, अनिल कुमार, बिरेन्द्र मोदी, प्रीति कुमारी, ज्योति देवी, सुषमा कुमारी,मालती देवी मौजूद थे।